कृषि उपज मण्डी समिति, कुल्लू एवं लाहौल स्पिति, स्थित कुल्लू, के लेखाओं का अंकेक्षण व निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2012 से 31.03.2013

भाग—एक

1 प्रारम्भिकः—

(क) कृषि उपज मण्डी समिति, कुल्लू एवं लाहौल स्पिति स्थित कुल्लू के अवधि 01.04.12 से 31.3.13 के लेखाओं का अंकेक्षण, हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्योगिकी उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 2005 की धारा 48(2) तथा हिमाचल प्रदेश सरकार के ज्ञापन संख्या—1—487/99—फिन(एल0ए0) खण्ड—1—554, दिनांक 20.01.2000 के दृष्टिगत इस विभाग द्वारा पूर्वाकेंक्षण के आधार पर किया गया।

(ख) लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कृषि उपज मण्डी समिति कुल्लू एवं लाहौल स्पिति स्थित कुल्लू कार्यालय में निम्नलिखित पदाधिकारी कार्यरत्त रहेः—

क्र0सं0	पदाधिकारी का नाम व पदनाम	अवधि
1	श्री नीरत राम शर्मा, अध्यक्ष	01.04.12 से 27.4.12
2	उपायुक्त कुल्लू, अध्यक्ष	28.12.12 से 31.3.13
3	श्री शेर सिंह ठाकुर, सचिव	01.04.12 से 19.3.13
4	श्री प्रकाश कश्यप, सचिव	20.03.13 से 31.3.13

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का सारः—

क्र0 सं0	पैरा सं0	विवरण	₹ लाखों में
1	7	रोकड़ बही का रख—रखाव सही ढ़ंग से न करना तथा बैंक समाधान विवरणी में अत्याधिक असमायोजित राशियों का समायोजन हेतु शेष पाया जाना	विवरण पैरे में दिया गया है
2	8	दुकानदारों से दुकानों के लम्बित किराए के रूप में राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	19.96
3	9	मण्डी शुल्क की बकाया राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	3.71
4	10	नाका चौकी बजौरा में वसूले गए कम्पाऊंड शुल्क में से राशि का बैंक में कम जमा करवाया जाना	0.19
5	11	नाका चौंकी बजौरा तथा लारजी में गैर लाईसैंसधारी व्यापारियों से कम्पाऊंड शुल्क की कम वसूली करना	0.42
6	18	डिपोजिट कार्य के विरूद्ध जमा करवाई गई राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण को प्रस्तुत न करना	66.49

(ग) आय

कृषि उपज मण्डी समिति कुल्लू एवं लाहौल स्पिति स्थित कुल्लू को वर्ष 2012–13 में सामान्यतः निम्नलिखित मदों से आय प्राप्त हुईः–

(1) हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 44 व हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (साधारण) नियम, 2006 के नियम 35 के अन्तर्गत मण्डी समिति के लाईसैन्सधारी व्यापारियों से मण्डी शुल्क तथा धारा 75 के अन्तर्गत व्यापारियों से जुर्माना शुल्क के रूप में प्राप्त आय।

(2) मण्डी समिति द्वारा निर्मित दुकानों, गोदामों, विश्राम गृहों तथा भवनों से किराए के रूप में प्राप्त आय।

(3) मण्डी समिति के विभिन्न फार्मों के विक्रय से प्राप्त आय।

(4) मण्डी समिति द्वारा विभिन्न बैंकों में सावधि जमा योजना तथा बचत खातों में निवेश की गई राशियों पर ब्याज के रूप में प्राप्त आय।

(5) मण्डी समिति कुल्लू परिसर से निर्मित पार्किंग फीस के रूप में प्राप्त आय।

(6) हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 40 (3) के अन्तर्गत कृषि उपज से जुड़े व्यापारियों से पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त आय।

(7) अन्य मिश्रित आय।

(घ) व्ययः–

कृषि उपज मण्डी समिति, कुल्लू एवं लाहौल स्पिति स्थित कुल्लू द्वारा वर्ष 2012–13 के दौरान सामान्यतः निम्नलिखित मदों पर व्यय किया गयाः–

1 मानदेय, वेतन, मजदूरी अन्य विभिन्न भत्तों पर तथा कार्यालय मदों पर व्यय।

2 कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति तथा यात्रा/दैनिक भत्ते आदि पर व्यय।

3 कर्मचारियों को प्रशिक्षण, अन्य प्रशिक्षण शिविरों व विज्ञापनों पर व्यय।

4 कर्मचारियों को दिए गए अग्रिमों पर व्यय।

5 मण्डी समिति के वाहन के पैट्रोल व मुरम्मत इत्यादि पर व्यय।

6 डिपोजिट कार्य के विरूद्ध करवाए गए विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु व्यय।

8 हिमाचल प्रदेश सरकार को देय अंकेक्षण शुल्क से सम्बन्धित व्यय।

7 हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औधनिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियतन)

अधिनियम 2005 की धारा 49 (3) के अन्तर्गत कृषि उपज मण्डी समिति के अधिनियम की धारा 44 के अन्तर्गत एकत्रित मण्डी शुल्क का 25 प्रतिशत भाग हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि उपज विपणन बोर्ड को देने में संलिप्त व्यय।

9 कार्यालय मशीनरी व उनकी मुरम्मत इत्यादि पर व्यय।

10 अन्य मिश्रित व्यय।

(ङ) कृषि उपज मण्डी समिति कुल्लू एवं लाहौल स्पिति स्थित कुल्लू के गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों का विवरण **परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है।

भाग—दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः—

कृषि उपज समिति कुल्लू एवं लाहौल स्पिति स्थित कुल्लू के अवधि 01.04.2012 से 31.03.2013 के लेखाओं का अंकेक्षण व निरीक्षण, श्रीमती इन्दिरा वर्मा, अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) तथा श्री ध्रुव राज (ले0प0) द्वारा पूर्वाकेंक्षण प्रणाली के आधार पर कृषि उपज मण्डी समिति के कुल्लू स्थित मुख्यालय में किया गया, जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दर्शाए गए है।

वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन संस्था द्वारा उपलब्ध की गई सूचनाओं एवं अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। उक्त संस्था द्वारा उपलब्ध की गई किसी भी गलत सूचना एवं सूचना उपलब्ध न करने के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है।

3 लेखा परीक्षा शुल्कः—

कृषि उपज समिति कुल्लू एवं लाहौल स्पिति स्थित कुल्लू के वर्ष 2012—13 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹620625 आंका गया। मण्डी समिति द्वारा यह राशि डी0डी0 संख्या 530647, दिनांक 06.09.2013 द्वारा स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला—9 को प्रेषित की जा चुकी है।

4 वित्तीय स्थितिः—

(क) कृषि उपज मण्डी समिति कुल्लू एवं लाहौल स्पिति स्थित कुल्लू द्वारा अंकेक्षण को प्रस्तुत मण्डी समिति की वर्ष 2012—13 की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से हैः—

आरम्भिक शेष	**24276057.83**
वर्ष में प्राप्तियां	42980331.71
कुल जमा	**67256389.54**
वर्ष में भुगतान	27535606.00
अन्तशेष	**39720783.54**
रोकड़ बही के अनुसार अन्तशेष	**39810457.00**
गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार दर्शाया गया पुराना अन्तर	**89673.46**

नोटः— उक्त वर्णित पुराने अन्तर की **₹89673.46** के बारे में संस्था स्तर पर आन्तरिक जाँच करके तथा राशि का मिलान करके वस्तुस्थिति एवं अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ख) बैंक के अनुसार अन्तशेष का विवरणः—

हस्तगत राशि	250.00
बैंक बचत खातों में जमा राशि	13578251.43
सावधि जमा योजना में निवेशित राशि **परिशिष्ट** (ख)	26010869.00
कुल राशि	**3,95,89,370.43**
वित्तीय स्थिति के अनुसार तथा बैंकों के अनुसार अन्तशेष की राशि में	**131413.11**

अन्तर (₹39720783.54—₹3,95,89,370.43= ₹131413.11)

नोटः— रोकड़ बही के अनुसार विभिन्न बचत खातों में जमा राशि का दिनाँक 31.3.13 को शेष अन्तशेष ₹13709664.54 है जिसका विवरण **परिशिष्ट "ग"** पर दिया गया है तथा मण्डी समिति के विभिन्न बैंक खातों के अनुसार दिनांक 31.3.13 को अन्तशेष ₹13578251.43 है। इस प्रकार रोकड़ बही के अनुसार तथा बैंक के अनुसार अन्तिम शेष में ₹13709664.54—₹13578251.43=₹131413.11 का अन्तर पाया गया जिसका विस्तृत विवरण पैरा 4(ग) में दिया गया है।

(ग) बैंक समाधान विवरणिकाः—

(1) के0सी0सी0बैंक मनाली बचत खाता संख्या 20035008079

दिनांक 31.3.13 तक रोकड़ वही के अनुसार अन्तिम शेष		**1287967**
दिनांक 07.03.2012 को रोकड़ बही में कम दर्शाई गई राशि		(+)23
अगस्त 2012 में के0सी0सी0 मनाली के स्थान पर के0सी0सी0 लारजी में गलती से जमा की गई राशि		(+)391745
दिनांक 31.7.12 को के0सी0सी0 रायसन के स्थान पर के0सी0सी0 मनाली में गलती से जमा राशि		(—) 258992
बैंक द्वारा क्रेडिट किए गए ब्याज को रोकड़ बही में न लेनाः—		
(i) दिनांक 6.9.2007	14288	(+) 26526
(ii) दिनांक 07.3.2008	12238	
गत वर्ष में जारी चैक का वर्ष 2012—13 में दोहरा भुगतान (दिनांक 31.3.12)		(—)170000
दिनांक 31.3.2013 को बैंक के अनुसार जमा राशि		**1277269**

(2) के0सी0सी0 भून्तर बचत खाता संख्या 20041011618

दिनांक 31.3.2013 तक रोकड़ वही के अनुसार अन्तशेष **14752**

बैंक द्वारा क्रेडिट किए गए ब्याज को रोकड बही में न लेनाः—

दिनांक	राशि
26.3.2012	173
26.3.2012	123

31.08.2012	303	
28.02.2013	305	(+) 904
दिनांक 31.3.2013 को बैंक के अनुसार जमा राशि		**15656**

(3) के0सी0सी0 लारजी बचत खाता सं0 090DP037002129

दिनांक 31.3.13 को रोकड़ वही के अनुसार अन्तशेष	**857075**

निम्न राशियाँ बैंक में जमा है किन्तु रोकड़ बही में इनका इन्द्राज नहीं किया गया

दिनांक	राशि	
8.7.2008	40	
12.9.2008	50	(+) 90

रोकड़ वही में दिनांक 25.8.2007 को मण्डी शुल्क का दोहरा इन्द्राज	(–)2560
रोकड़ वही में दिनांक 30.6.2008 को आय के रूप में अधिक जमा राशि (₹42325–₹41155)	(–) 1170

बैंक द्वारा क्रेडिट किए गए ब्याज की राशि को रोकड़ बही में न लेनाः–

दिनांक	राशि	
13.9.2007	10965	
10.3.2008	15706	(+) 26671

अगस्त 2012 में के0सी0सी0 मनाली के स्थान पर के0सी0सी0 लारजी में जमा राशि	(–) 391745
दिनांक 31.8.2012 को बैंक में जमा राशि का इन्द्राज रोकड़ बही में न करना	(+) 500
दिनांक 31.3.2013 को बैंक के अनुसार जमा राशि	**488861**

(4) के0सी0सी0 बजौरा बचत खाता संख्या 20108006592

दिनांक 31.3.13 को रोकड़ वही के अनुसार अन्तशेष	**305005**
दिनांक 28.7.2009 को बैंक द्वारा क्रेडिट किए गए ब्याज की ₹2669/–के स्थान पर रोकड़ बही में ₹2369 का दर्शाया जाना	(+) 300
दिनांक 31.7.2007 को गलत गणना के कारण रोकड़ बही में अधिक जमा (₹461185–₹459185)	(–) 2000
दिनांक 20.3.2008 को गलत गणना के कारण रोकड़ वही में अधिक जमा (₹2190–₹2090)	(–) 100
गलत गणना के कारण रोकड़ बही में अधिक जमा	(–) 600
दिनांक 30.6.2012 को के0सीसी0 कुल्लू के स्थान पर के0सी0सी0 बजौरा में जमा की गई राशि	(–) 155237
दिनांक 22.12.12 को बजौरा के स्थान पर यू0बी0आई0भून्तर में जमा की गई राशि	(+) 62909
दिनांक 2.3.13 को बजौरा के स्थान पर यू0बी0आई0 भून्तर में जमा की गई राशि	(+) 31480
दिनांक 18.3.13 को बजौरा के स्थान पर के0सी0सी0 कुल्लू में जमा की गई राशि	(+) 47790
के0सी0सी0 बजौरा में जमा राशि का इन्द्राज रोकड़ बही मे न करना	(+) 191840
के0सी0सी0 बजौरा में जमा राशि का इन्द्राज रोकड़ बही मे न करना (4.5.2012)	(+) 15958
दिनांक 31.3.2013 को बैंक अनुसार जमा राशि	**497345**

(5) के0सी0सी0 निरमंड बचत खाता संख्या 20038019099

दिनांक 31.3.13 को रोकड़ वही के अनुसार अन्तशेष		**321230**
बैंक पास बुक में आय की राशि जमा की गई परन्तु रोकड़ वही में जमा नहीं हैः–		
दिनांक	राशि	
1.10.2007	3284	
3.10.2007	1600	
5.10.2007	880	
8.10.2007	470	
11.10.2007	1600	
21.10.2007	830	
15.10.2007	100	
3.10.2008	850	
18.8.2010	416	(+) 10030
बैंक द्वारा बैंक चार्जिज काटे गये है परन्तु रोकड़ वही से कम नहीं किए गये है।		
दिनांक	राशि	
9.2.2010	1900	
1.5.2010	185	
1.'12.2010	185	(–) 2270
दिनांक 13.9.2012 को रोकड़ बही में अधिक जमा		(–) 1
दिनांक 31.3.2013 को बैंक अनुसार जमा राशि		**328989**

(6) के0सी0सी0 रायसन बचत खाता संख्या 20107013851

दिनांक 31.3.13 को रोकड़ वही के अनुसार अंतशेष		**143674**
निम्नलिखित राशियां पासबुक में जमा है परन्तु रोकड़वही में जमा नहीं है।		
दिनांक	राशि	
7.8.2008	540	
3.8.2009	491	
27.2.2010	354	
30.8.2011	2318	
30.8.2011	5872	+9575
दिनांक 31.7.2012 को के0सी0सी0 रायसन के स्थान पर के0सी0सी0 मनाली में जमा राशि		(+) 258992
दिनांक 2.8.2012 को बैंक द्वारा काटे गए बैंक चार्जिज को रोकड़ बही में न लिया जाना		(–) 189
दिनांक 5.4.2012 को के0सी0सी0 रायसन के स्थान पर के0सी0सी0 कुल्लू में जमा राशि		(+) 1501
दिनांक 31.3.2013 को बैंक अनुसार जमा राशि		**413553**

(7) एस0वी0आई लूहरी बचत खाता संख्या 116471135056

दिनांक 31.3.13 को रोकड़ वही के अनुसार अन्तशेष **1093719.31**

अवधि 2008–2009 के दौरान निम्न प्रकार से बैंक बचत खातें में अधिक आय जमा है।

माह	प्राप्त आय	जमा राशि	अधिक जमा
5/2008	13253	13463	210
7/2008	11519	11520	1
7/2008	22202	22205	3
7/2008	57952	57970	18
8/2008	53926	53934	8
7/2009	69840	69841	1
7/2009	8383	8390	7
दिनांक 31.7.2009 का प्रत्यक्ष रूप में जमा			100

वर्ष 2010–11 में रोकड़ की उपेक्षा पास बुक में अधिक जमा

दिनांक	रोकड़ वही	पास बुक	अधिक जमा	
5.7.2010	4416	4420	4	
29.7.2010	45556	45560	4	
30.6.2010	53268	53269	1	(+) 357

दिनांक 22.11.2008 को ₹2084587/–के स्थान पर ₹2089810/–की निकासी की गई	(–) 5223
दिनांक 28.3.2009 को ₹200000/–के स्थान पर ₹200500 की निकासी दर्शाई गई	(–) 500
बैंक चार्जिज बैंक से घटाए गये लेकिन रोकड़ वही से नहीं घटाए गये	(–) 3850
अवधि 31.3.2008 तक रोकड़ वही में गलत जमा (₹368818–₹368618=₹200)	(–) 200
पास बुक में अधिक जमा (₹683132.31–₹683137.31)	(–) 5
दिनांक 31.11.2009 को पास बुक में ₹4261/–के स्थान पर ₹4260/–जमा किए गये है।	(–) 1
दिनांक 31.3.2010 को जमा की गई राशि पास बुक में जमा नहीं है।	(–) 7832
दिनांक 17.8.10 को पास बुक में कम जमा	(–) 300
बैंक चार्जिज रोकड़ वही से नहीं घटाए गये	(–) 651

लैजर में कम जमा किए गए

31.5.2012	2000	
29.9.2012	3	
28.9.2012	2	
6.11.2012	2	(+) 2007

निम्नलिखित जमा राशियों को रोकड़ में न दर्शानाः–

दिनांक	राशि
4.9.2012	20
11.9.2012	100

5.10.2012	152	
4.2.2013	79	
शून्य	33	(+) 384
दिनांक 08.9.2012 को बैंक में कम जमा राशि		(–) 100

निम्नलिखित बैंक चार्जिज की राशियाँ रोकड़ बही में नहीं दर्शाई गई है:–

दिनांक	राशि	
30.4.2012	28	
08.5.2012	112	
13.7.2012	112	(–) 252
रोकड़ बही में दर्शाई गई राशि बैंक में जमा नहीं है		(–) 1536

निम्नलिखित बैंक चार्जिज की राशियाँ रोकड़ बही में नहीं दर्शाई गई है:–

दिनांक	राशि	
8.8.2012	150	
4.9.2012	225	
27.9.2012	412	
5.10.2012	225	
9.10.2012	336	
19.11.2012	150	
24.11.2012	150	
4.2.2013	147	
28.2.2013	10	
6.3.2013	147	
26.3.2013	511	(–) 2463
दिनांक 31.3.2013 को बैंक अनुसार जमा राशि		**1073554.31**

(8) हिमाचल ग्रामीण बैंक बचत खाता संख्या 5840

दिनाक 31.3.13 तक रोकड़ वही के अनुसार अंतशेष	**24**
दिनांक 31.3.13 तक बैंक के अनुसार अंतशेष	**24**

(9) यू0वी0आई0 कुल्लू बचत खाता संख्या 372102010001688

दिनांक 31.3.2013 को रोकड़ बही के अनुसार अंतशेष		**1297143**
बैंक द्वारा दिनांक 3.8.2009 को क्रेडिट किए गए ब्याज की राशि रोकड़ बही में दर्शाई नहीं गई है		(+) 5325

बैंक चार्जिजः–

दिनांक	राशि	
19.9.2009	10.00	
4.4.2009	10.00	
1.9.2010	226.65	(–) 246.65
दिनांक 21.3.2012 को चैक संख्या 21285 जारी किया गया परन्तु बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।		(+) 272104

भुगतान किए गये चैक का ईन्द्राज रोकड़ वही में नहीं किया गया।

दिनांक	चैक सं0	राशि	
14.12.2011	521560	10122	
14.12.2011	521559	28162	(–) 38284

बैंक प्रभार	(–) 10
दिनांक 23.03.13 को जमा करवाए चैक का बैंक द्वारा क्रेडिट न दिया जाना	(–) 441287
बैंक समाधान किया गया	(–) 38284
रोकड़ बही में अधिक प्रविष्टि का लिया जाना	(–) 90
दिनांक 31.3.2013 को बैंक अनुसार जमा राशि	**1056370.35**

(10) पी0एन0बी0 कुल्लू बचत खाता संख्या 027400104119886

दिनांक 31.3.2013 को रोकड़ बही के अनुसार अन्तशेष	**120095**
पी0एन0बी0 कुल्लू के स्थान पर के0सी0सी0 कूल्लू में जमा राशि	(+)4120
दिनांक 29.09.2012 को कैश बुक पृष्ठ संख्या 151 पर 20000/– चैक संख्या 743933 के अन्तर्गत जमा किए गए दर्शाए गए है लेकिन बैंक में जमा नहीं हुए	(–)20,000
दिनांक 31.3.2013 को बैंक अनुसार जमा राशि	**104215**

(11) के0सी0सी0 कुल्लू बचत खाता संख्या 20006020635

दिनांक 31.3.2013 को रोकड़ बही के अनुसार अन्तशेष	**6422607.23**

बैंक में जमा किए गए चैक का रोकड़ बही में इन्द्राज न होना

चैक सं0	दिनांक	राशि	
8008819	9.6.11	281262	
8008821	9.6.11	39344	
–	9.6.11	23249	(+) 343855

बैंक द्वारा क्रेडिट किए गए ब्याज की प्रविष्टि का रोकड़ बही में न लेना	(+) 100519

निम्नलिखित जारी किए गए परन्तु चैकों का इन्द्राज रोकड़ बही में नहीं किया गया है

दिनांक	चैक नं0	राशि	
30.3.12	4997	11735	
30.3.12	4999	19339	(+) 31074

निम्न निकासियों का रोकड़ वही में ईन्द्राज नहीं किया गया।

दिनांक	राशि	
13.3.12	80000	
13.3.12	800	(–) 80800

दिनांक 3.6.2009 को जमा राशि की रोकड़ बही में प्रविष्टि नहीं की गई	(+) 125006
पी0एन0बी0 कुल्लू की राशि को 23.3.2012 को के0सी0सी0 कुल्लू में जमा दर्शाया गया है	(–) 4120

चैक बैंक में जमा हेतु प्रस्तुत किया गया लेकिन क्रेडिट नहीं हुआ

दिनांक	चैक सं0	राशि	
31.3.12	614815	4456	(–) 4456

खाता संख्या 673 की राशि दिनांक 7.4.2007 को खाता संख्या 3725 में हस्तांतरित व जमा की गई परन्तु रोकड़ में जमा नहीं दर्शाई गई	(+) 18073
पास बुक में जमा राशि जिसकी रोकड़ बही में प्रविश्टि नहीं ली गई	(+) 14041
अर्जित ब्याज का इन्द्राज रोकड़ बही में नहीं किया गया	(+) 16245
दिनांक 18.3.2013 को यू0बी0आई0 भुन्तर के स्थान पर के0सी0सी0 कूल्लू में जमा राशि	(–) 9260
दिनांक 19.3.2013 को यू0बी0आई0 भून्तर के स्थान पर के0सी0सी0 कूल्लू में जमा राशि	(–) 100000
दिनांक 18.3.2013 को के0सी0सी0 बजौरा के स्थान पर के0सी0ीस0 कूल्लू में जमा राशि	(–) 47790
दिनांक 23.3.2013 को रोकड़ बही में जमा दर्शाई गई राशि का बैंक में जमा न होना	(–) 48598
दिनांक 23.3.2013 को रोकड़ बही में जमा दर्शाई गई राशि का बैंक में जमा न होना	(–) 4267
दिनांक 31.3.2013 को बैंक में जमा किए गए चैक का बैंक में क्रेडिट न होना	(–) 21552
दिनांक 02.6.2012 को बैंक प्रभार की प्रविश्टि का रोकड़ बही में न किया जाना	(–) 110
दिनांक 08.5.2012 को बेंक प्रभार की प्रविश्टि का रोकड़ बही में न लिया जाना	(–) 165
दिनांक 05.04.2012 को के0सी0सी0 रायसन के स्थान पर के0सी0सी0 कूल्लू में जमा राशि	(–) 1501
बैंक समाधान समायोजन	(–) 145846.54
दिनांक 21.8.2012 को रोकड़ बही में जमा दर्शाई गई राशि का बैंक में जमा न पाया जाना	(–) 8077
दिनांक 31.7.2012 को रोकड़ बही में जमा दर्शाई राशि का बैंक में जमा न पाया जाना	(–)13061
दिनांक 23.4.2012 को रोकड़ बही में जमा दर्शाई गई राशि की बैंक में जमा न पाया जाना	(–) 15958
दिनांक 26.4.2012 को बैंक में जमा राशि का रोकड़ बही में प्रविष्टि न करना	(+)4401
दिनांक 30.6.2012 को के0सी0सी0 कूल्लू के स्थान पर के0सी0सी0 बजौरा में जमा राशि	(+) 155237

निम्न राशियाँ बैंक में जमा की गई लेकिन रोकड़ बही में प्रविष्टि नहीं ली गई

दिनांक	राशि	
10.7.2012	3200	
01.8.2012	845	
01.08.2012	19667.31	
01.08.2012	11007	
9.8.2012	1250	(+) 35969.31

दिनांक 24.8.2012 के के0सी0सी0 कुल्लू के स्थान पर के0सी0सी0 मनाली में जमा दर्शाई गई राशि	(+) 3881
दिनांक 24.8.2012 को के0सी0सी0 कूल्लू के स्थान पर के0सी0सी0 मनाली में जमा	(+)4196

दर्शाई गई राशि

दिनांक 02.4.2012 को बैंक में जमा राशि का रोकड़ बही में इन्द्राज न होना	(+) 29890
दिनांक 31.3.2013 को जारी किए गए चैक भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए (₹6000+₹10500+₹414000)	(+) 430500
रोकड़ बही में कम राशि की प्रविष्टि ली गई	(+) 6
दिनांक 24.7.2012 को रोकड़ बही में कम राशि की प्रविष्टि ली गई	(+) 300
दिनांक 31.3.2012 को बैंक अनुसार जमा राशि	**7230239**

(12) यू0बी0आई0 भून्तर बचत खाता संख्या 372102010000268

दिनांक 31.3.2013 को रोकड़ बही के अनुसार अन्तशेष	**1846373**
दिनांक 31.3.2011 को बैंक में जमा राशि का रोकड़ बही में इन्द्राज न किया जाना	(+) 15122
बैंक द्वारा क्रेडिट किए गए ब्याज को रोकड़ बही में न लेना	(+)103
दिनांक 30.6.2011 को बैंक में जमा राशि की प्रविष्टि रोकड़ बही में न लेना	(–) 320606
बैंक प्रभार की प्रविष्टि रोकड़ बही में न लेना (वर्ष 2010–11)	(–) 934.23
रोकड़ बही में जमा दर्शाई राशि का बैंक में जमा न होना	(–)74748
दिनांक 22.3.2012 को चैक संख्या 21285 की राशि का बैंक में जमा न होना	(–) 272104
बैंक प्रभार	(–) 160
रोकड़ बही में कम प्रविष्टि	(+) 9461
दिनांक 03.02.2012 तथा 31.3.2012 को ब्याज की दोहरी प्रविष्टि (62130+62130)	(–) 124260

निम्न बैंक प्रभार की प्रविष्टि को रोकड़ बही में न लेना

दिनांक	**राशि**	
21.3.2012	20	
21.4.2012	50	
25.4.2012	50	
30.3.2013	363	
29.3.2013	50	(–) 533

दिनांक 21.8.2012 को रोकड़ बही में जमा दर्शाई गई राशि का बैंक में जमा न होना	(–) 660
दिनांक 22.12.2012 को के0सी0सी0 बजौरा के स्थान पर यू0बी0आई0 भून्तर में जमा राशि	(–) 31480
दिनांक 22.12.2012 को के0सी0सी0 बजौरा के स्थान पर यू0बी0आई0 भून्तर में जमा राशि	(–) 62909
दिनांक 21.3.2012 को रोकड़ बही में कम राशि की प्रविष्टि दिनांक 8.01.13 को	(+) 1
जमा की गई लेकिन रोकड़ बही में प्रविष्टि नही ली गई	(+) 250
दिनांक 18.03.2013 को यू0बी0आई0 भुन्तर के स्थान पर के0सी0सी0 कुल्लू में जमा राशि	(+) 9260
दिनांक 19.03.2013 का यू0बी0आई0 भुन्तर के स्थान पर के0सी0सी0 कुल्लू में जमा राशि	(+)100000
दिनांक 31.3.2013 को बैंक के अनुसार जमा राशि	**1092175.77**

(+) ईन्द्राजः–

23	391745	26526	904	90	26671	500	300	62909	31480
47790	191840	15958	10030	9575	258992	1501	357	2007	384
5325	272104	4120	343855	100519	31074	125006	18073	14041	16245
4401	155237	35969.31	3881	4196	29890	430500	6	300	15122
103	9461	1	109510	= **2808521.31**					

(–) ईन्द्राजः–

258992	170000	2560	1170	391745	2000	100	600	155237	2270
1	189	5223	500	3850	200	5	1	7832	300
651	100	252	1536	2463	246.65	38284	10	441287	38284
90	20000	80800	4120	4456	9260	100000	47790	48598	4267
21552	110	165	1501	145846.54	8077	13061	15958	320606	934.23
74748	272104	160	124260	533	660	31480	62909	= **2939934.42**	

अन्तर **2939934.42–2808521.31=131413.11**

5 सावधि जमा योजना में निवेशः–

मण्डी समिति कुल्लू एवं लाहौल स्पिति स्थित कुल्लू द्वारा दिनांक 31.3.13 तक ₹26010869/–सावधि जमा योजना में निवेशित की गई थी जिसका विवरण **परिशिष्ट "ख"** में दिया गया है। अतः परामर्श दिया जाता है कि इन राशियों को परिपक्वता तिथि पर भुनाकर/आहरित करके इनका पुनः निवेश करना सुनिश्चित किया जाए।

6 बचत खातों में अनावश्यक रूप से अधिक राशि रखने से ब्याज की हानिः–

वर्ष 2012–13 के बचत खातों की जांच करने पर पाया गया कि मण्डी समिति के विभिन्न बचत खातों में रोकड़ बही के अनुसार दिनांक 31.03.2012 को ₹13709664.54 शेष पड़ी थी जिनका विवरण **परिशिष्ट "ग"** पर दिया गया है। इस सन्दर्भ में सुझाव दिया जाता है कि संस्था स्तर पर आन्तरिक जांच करके बचत खातो में आवश्यकतानुसार ही राशि रख कर शेष राशि का सावधि जमा के अन्तर्गत निवेश किया जाए ताकि इस पर अधिकतम ब्याज दरें प्राप्त करके विपणन समिति की आय को बढ़ाया जा सके अन्यथा बचत खाते में अधिक राशि रखने पर निश्चित रूप से ब्याज की हानि होना स्वाभाविक है, जिसका भविष्य हेतु परिहार किया जाए।

7 रोकड़ बही का रख–रखाव सही ढ़ंग से न करना तथा बैंक समाधान विवरणी में अत्याधिक असमायोजित राशियों का समायोजन हेतु शेष पाया जानाः–

मण्डी समिति कुल्लू की वर्ष 2012–13 की रोकड़ बही की जाँच करने पर पाया गया कि रोकड़ बही का रख रखाव सही ढ़ंग से नहीं किया गया है जबकि रोकड़ बही एक महत्वपूर्ण वित्तीय अभिलेख है जिसका रख रखाव अत्यन्त सावधानी एवं त्रुटि रहित किया जाना अपेक्षित है। इसके विपरीत रोकड़ बही में गलत तरीके से प्रविष्टियाँ की है जिसके कारण रोकड़ बही व बैंक पास बुक के मिलान पर अध्याधिक राशियाँ असमायोजित पाई गई है। रोकड़ बही की जाँच में पाई गई कुछ महत्वपूर्ण अनियमितताऐं निम्न प्रकार से हैः–

(क) अंकेक्षण को चर्चा के दौरान अवगत करवाया गया कि माह के दौरान वसूल की गई मण्डी शुल्क की राशि व अन्य राशियों की विवरणी बैंक रसीदें सहित माह के अन्त में मण्डी प्रभारियों द्वारा रोकड़िऐ को रोकड़ बही में प्रविष्टि करने हेतु सौंपी जाती है परन्तु इन जमा राशियों की प्रविष्टि सम्बन्धित बैंक से करने की अपेक्षा किसी दूसरे ही बैंक में दर्शा दी जाती है जिस कारण सम्बन्धित बैंक का मिलान रोकड़ बही से करने में बहुत ही कठिनाई पेश आती है। उदाहरण के लिए दिनांक 22.12.2012 को के0सी0सी0 बैंक बजौरा में ₹62909 ⁄– जमा की गई लेकिन यह राशि यू0बी0आई0 भून्तर में जमा की गई दर्शाई गई है। इसी प्रकार की अनेक और भी त्रुटियाँ भी रोकड़ बही में पाई गई है जिनका उल्लेख बैंक समाधान विवरणिकाओं में किया गया है।

(ख) जाँच में यह भी पाया गया कि कहीं कहीं पर तो प्राप्त राशि की एक प्रविष्टि के स्थान पर उसी राशि की दो–दो या तीन–तीन प्रविष्टियाँ ली गई है। उदाहरण के लिए यू0बी0आई भून्तर खाता संख्या 268 में अर्जित किए गए ब्याज की ₹62130 ⁄– की प्रविष्टि रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या 22, 23 व 32 में की गई है।

(ग) माह सितम्बर व अक्तूबर 2012 में नाका चौकी बजौरा में वसूल की गई कम्पाऊंड फीस की ₹19020 ⁄– का रोकड़ में कम इन्द्राज किया गया है जबकि मासिक रिर्टनों में दर्शाई गई रसीदों की गणना के उपरान्त सम्बन्धित राशि की प्रविष्टि रोकड़ में करनी चाहिए थी।

(घ) बैंक द्वारा समय–समय पर लिए गए बैंक प्रभार की भी प्रविष्टि रोकड़ बही में नहीं की गई।

(ङ) जाँच में यह भी पाया गया कि कहीं कहीं पर तो बैंक में जमा की गई या बैंक से निकाली गई राशियों का इन्द्राज भी रोकड़ बही में किया ही नहीं गया है।

(च) मण्डी समिति के वर्ष 2012–13 के बचत खातों की जाँच करने पर पाया गया कि मण्डी समिति कार्यालय द्वारा अत्याधिक बचत खाते संचालित किए जा रहे है जिनका विवरण यथा **परिशिष्ट (ग)** पर दिया गया है। इनमें से कुछ बैंकों में तो लेन देने न के बराबर है। इसके अतिरिक्त कुल्लू शहर के अन्दर ही चार बचत खातों का संचालन किया जा रहा है जिनमें से हिमाचल ग्रामीण बैंक और पंजाब

नैशनल बैंक में लेन देन बिल्कुल न के बराबर है। मण्डी समिति द्वारा बैंक समाधान विवरणी में हिमाचल ग्रामीण बैंक कुल्लू में दिनांक 31.3.2013 को ₹24 शेष दर्शाई गई है जबकि बैंक द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र के अनुसार दिनांक 31.3.2013 को अन्तशेष की राशि शून्य थी। अतः इस बारे में वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि अत्याधिक बचत खातों के संचालन के कारण एक बैंक की राशि की पोस्टिंग दूसरे बैंक में की जा रही है जिसके परिणामस्वरूप रोकड़ बही में भी गलत प्रविष्टियाँ की जा रही है तथा बैंक समाधान विवरणियाँ में अध्याधिक राशियाँ समायोजन पड़ी है। अतः मण्डी समिति के अधिकारियों को सुझाव दिया जाता है इस सन्दर्भ में आन्तरिक जाँच करके आवश्यकतानुसार ही बैंक खातों का संचालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा शेष खातों को बन्द करने हेतु कार्रवाई अमल में लाई जाए।

(छ) उपरोक्त के अतिरिक्त मण्डी समिति के विभिन्न बैकों की बैंक समाधान विवरणिका में अनेक मदें असमायोजित पाई गई है जिनमें कुछ मदें तो कई वर्षों में असमायोजित है परन्तु मण्डी समिति द्वारा इन मदों को समायोजित करने हेतु कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। मण्डी समिति के विभिन्न बैंकों की बैंक समाधान विवरणिका में मुख्यतः निम्नलिखित असमायोजित मदें पाई गई जिन पर शीध्रता से कार्रवाई अमल में लाई जाए।

बैंक का नाम	**विवरण**	**राशि**	**टिप्पणी**
के0सी0सी0 बैंक मनाली	बैंक द्वारा दिनांक 6.9.2007 तथा 7.3.2008 को क्रेडिट किए गए ब्याज को रोकड़ बही में न लेना	(+)26526	इतनी लम्बी अवधि तक ब्याज को रोकड़ बही मे ंन लेने के कारण स्पष्ट किए जाएं तथा अपेक्षित प्रविष्टि की जाए।
–यथोपरि–	गत वर्ष में जारी चैक का वर्ष 2012–13 में दोहरा भुगतान (दिनांक 31.3.12)	(–)170000	गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार ₹85000/– का चैक जमा हुआ था परन्तु बैंक द्वारा क्रेडिट नहीं किया गया था।
के0सी0सी0 बैंक लारजी	बैंक द्वारा दिनांक 6.9.2007 तथा 10.3.2008 को क्रेडिट किए गए ब्याज को रोकड़ बही में न लेना	(+)26671	इतनी लम्बी अवधि तक ब्याज को रोकड़ बही मे ंन लेने के कारण स्पष्ट किए जाएं तथा अपेक्षित प्रविष्टि की जाए।
के0सी0सी0 बैंक बजौरा	बैंक में जमा राशियों का रोकड़ बही में इन्द्राज नहीं किया गया।	(+)191840	राशि का रोकड़ बही में इन्द्राज न किए जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अपेक्षित प्रविष्टि की जाए।
–यथोपरि–	बैंक में जमा राशियों का रोकड़ बही में इन्द्राज नहीं किया गया। दिनांक 04.5.12 को	(+) 15958	इतनी लम्बी अवधि तक राशि का रोकड़ बही में इन्द्राज न किए जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अपेक्षित प्रविष्टि

			की जाए।
एस0बी0आई0 लुहरी	दिनांक 22.11.2008 को ₹2084587/–के स्थान पर ₹2089810/–की निकासी की गई	(–) 5223	अधिक निकासी की गई राशि के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति का आंकलन करके इसकी वसूली की जानी अपेक्षित थी।
–यथोपरि–	दिनांक 28.3.2009 को ₹200000/–के स्थान पर ₹200500 की निकासी दर्शाई गई	(–) 500	अधिक निकासी की गई राशि के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति का आंकलन करके इसकी वसूली की जानी अपेक्षित थी।
–यथोपरि–	दिनांक 31.3.2010 को जमा की गई राशि पास बुक में जमा नहीं है।	(–) 7832	पास बुक में जमा नहीं की गई राशि के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति का आंकलन करके इसकी वसूली की जानी अपेक्षित थी।
–यथोपरि–	दिनांक 17.8.10 को पास बुक में कम जमा	(–) 300	पास बुक में कम जमा की गई राशि के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति का आंकलन करके इसकी वसूली की जानी अपेक्षित थी।
–यथोपरि–	रोकड़ बही में दर्शाई गई राशि बैंक में जमा नहीं है	(–) 1536	बैंक में जमा न की गई राशि के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति का आंकलन करके इसकी वसूली की जानी अपेक्षित थी।
यू0बी0आई कुल्लू	दिनांक 21.3.2012 को चैक संख्या 21285 जारी किया गया परन्तु बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।	(+) 272104	यू0बी0आई0 भुन्तर में जमा दर्शाई गई ₹272104 को ध्यान में रखते हुये इसका समायोजन किया जाए
–यथोपरि–	दिनांक 14.12.2011 को भुगतान किए गए चैकों को रोकड़ बही में न लिया जाना	(–) 38284	इतनी लम्बी अवधि तक राशि का रोकड़ बही में इन्द्राज न किए जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।
–यथोपरि–	23.3.13 को चैक जमा किया गया लेकिन बैंक द्वारा क्रेडिट नहीं किया गया	(–) 441287	बैंक द्वारा बाद में राशि का क्रेडिट दिए जाने की तिथि अंकित की जानी अपेक्षित थी।
–यथोपरि–	बैंक समाधान किया गया	(–) 38284	किए गए बैंक समाधान के सम्बन्ध में पूरा विवरण दिया जाना अपेक्षित था।
पी0एन0बी0 कुल्लू	दिनांक 29.09.2012 को कैश बुक पृष्ठ संख्या 151 पर 20000/– चैक संख्या 743933 के अन्तर्गत जमा	(–)20,000	दिनांक 29.09.2012 से लेकर अब तक इस चैक का बैंक द्वारा क्रेडिट न दिए जाने बारे कारणों की जांच करके अपेक्षित कार्रवाई

	किए गए दर्शाए गए है लेकिन बैंक में जमा नहीं हुए		अमल में लाई जाए तथा वस्तुस्थिति से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।
के0सी0सी0 कुल्लू	बैंक द्वारा क्रेडिट किए गए ब्याज को रोकड़ बही में न लेना	(+)100519	बैंक द्वारा समय–समय पर दिए गए ब्याज का पूरा विवरण दिया जाए तथा इसे रोकड़ बही में न लेने के कारण स्पष्ट किए जाएं। इसके अतिरिक्त इस प्रकरण में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाए।
–यथोपरि–	दिनांक 30.3.2012 को जारी किए गए चैकों का इन्द्राज रोकड़ बही में न किया जाना	(+)31074	इतनी लम्बी अवधि तक राशि का रोकड़ बही में इन्द्राज न किए जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अपेक्षित प्रविष्टि की जाए।
–यथोपरि–	दिनांक 13.3.12 को बैंक से निम्नलिखित राशियों का रोकड़ बही में इन्द्राज नहीं किया गया। (80000+800)	(–) 80800	इतनी लम्बी अवधि तक राशि का रोकड़ बही में इन्द्राज न किए जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अपेक्षित प्रविष्टि की जाए।
–यथोपरि–	दिनांक 03.6.09 को बैंक में जमा राशियों का रोकड़ बही में इन्द्राज नहीं किया गया।	(+)125006	इतनी लम्बी अवधि तक राशि का रोकड़ बही में इन्द्राज न किए जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अपेक्षित प्रविष्टि की जाए।
–यथोपरि–	चैक बैंक में जमा हेतु प्रस्तुत किया गया लेकिन क्रेडिट नहीं किया गया –दिनांक/चैक सं0 (31.3. 12/614815)	(–) 4456	बैंक द्वारा क्रेडिट न किए गये चैक के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति का आंकलन करके इसकी वसूली की जानी अपेक्षित थी।
–यथोपरि–	23.3.13 को जमा चैक का बैंक में जमा न होना।	(–) 48598	बैंक द्वारा बाद में राशि का क्रेडिट दिए जाने की तिथि अंकित की जानी अपेक्षित थी।
–यथोपरि–	23.3.13 को जमा चैक का बैंक में जमा न होना।	(–) 4267	बैंक द्वारा बाद में राशि का क्रेडिट दिए जाने की तिथि अंकित की जानी अपेक्षित थी।
–यथोपरि–	31.3.13 को जमा चैक का बैंक में जमा न होना।	(–) 21552	बैंक द्वारा बाद में राशि का क्रेडिट दिए जाने की तिथि अंकित की जानी अपेक्षित थी।

–यथोपरि–	बैंक समाधान समायोजन	(–) 145846.54	किए गए बैंक समाधान के सम्बन्ध में पूरा विवरण दिया जाना अपेक्षित था।
–यथोपरि–	रोकड़ बही में जमा दर्शाई गई राशि का बैंक में जमा न पाया जाना (21.8.2012)	(–) 8077	बैंक में जमा नहीं की पाई गई राशि के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति का आंकलन करके इसकी वसूली की जानी अपेक्षित थी।
–यथोपरि–	दिनांक 31.7.2012 को रोकड़ बही में जमा दर्शाई राशि का बैंक में जमा न पाया जाना	(–)13061	बैंक में जमा नहीं की पाई गई राशि के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति का आंकलन करके इसकी वसूली की जानी अपेक्षित थी।
–यथोपरि–	दिनांक 23.4.2012 को रोकड़ बही में जमा दर्शाई गई राशि का बैंक में जमा न पाया जाना	(–) 15958	बैंक में जमा नहीं की पाई गई राशि के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति का आंकलन करके इसकी वसूली की जानी अपेक्षित थी।
–यथोपरि–	दिनांक 24.8.2012 के के0सी0सी0 कुल्लू के स्थान पर के0सी0सी0 मनाली में जमा राशि	(+) 3881	के0सी0सी0 मनाली की बैंक विवरणिका के अनुसार उक्त राशि मनाली बैंक में जमा नहीं पाई गई।
–यथोपरि–	दिनांक 24.8.2012 को के0सी0सी0 कूल्लू के स्थान पर के0सी0सी0 मनाली में जमा राशि	(+)4196	के0सी0सी0 मनाली की बैंक विवरणिका के अनुसार उक्त राशि मनाली बैंक में जमा नहीं पाई गई।
यू0बी0आई भून्तर	दिनांक 31.6.2011 को बेंक में जमा राशि की रोकड़ बही में प्रविष्टि न करना	(–)320606	इतनी लम्बी अवधि तक राशि का रोकड़ बही में इन्द्राज न किए जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अपेक्षित प्रविष्टि की जाए।
–यथोपरि–	रोकड़ बही में जमा दर्शाई राशि का बैंक में जमा न होना	(–)74748	बैंक में जमा नहीं की पाई गई राशि के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति का आंकलन करके इसकी वसूली की जानी अपेक्षित थी।
–यथोपरि–	दिनांक 22.3.2012 को चैक संख्या 21285 की राशि का बैंक में जमा न होना	(–) 272104	बैंक में जमा नहीं की पाई गई राशि के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति का आंकलन करके इसकी वसूली की जानी अपेक्षित थी।
–यथोपरि–	रोकड़ बही में कम प्रविष्टि	(+) 9461	कम की गई प्रविष्टि के बारे में वस्तुस्थिति का आंकलन करके

			अपेक्षित प्रविष्टि की जानी अपेक्षित थी।
–यथोपरि–	दिनांक 31.3.2012 तथा 03.02.2012 को ब्याज की दोहरी प्रविष्टि (62130+62130)	(–) 124260	दोहरी प्रविष्टि के बारे में वस्तुस्थिति का आंकलन करके सही प्रविष्टि करवाने हेतु टिप्पणी की जानी अपेक्षित थी।

उपरोक्त के अतिरिक्त मण्डी समिति की बैंक समाधान विवरणिकाओं में अन्य भी कई मदें यथा बैंक द्वारा दिए गए ब्याज की रोकड़ बही में प्रविष्टि न करना, बैंक में जमा की गई अन्य राशियों की रोकड़ बही में प्रविष्टि न करना, बैंक द्वारा काटे गए बैंक चार्जिज की रोकड़ बही में प्रविष्टि न करना, रोकड़ बही में गलत प्रविष्टियां करना तथा अन्य मदें असमायोजित पाई गई हैं जिनका मण्डी समिति से समायोजन करवाया जाए।

अतः उक्त अनियमितताओं का प्रकरण मण्डी समिति के उच्च अधिकारियों के सम्मुख इस आशय के साथ लाया जाता है कि वे अपने अधीन कार्यरत्त कर्मचारियों पर प्रभावी नियन्त्रण रखना सुनिश्चित करें तथा भविष्य में आय/वित्तीय अभिलेख का रख–रखाव को सही ढ़ंग से किया जाए।

8 दुकानदारों से दुकानों के लम्बित किराए के रूप में ₹1996748/–का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

कृषि उपज मण्डी समिति के मांग तथा संग्रह रजिस्टर (Demand & Collection Register) तथा अन्य अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट "घ"** के अनुसार विभिन्न आंबटियों से दिनांक 31.3.2013 तक दुकानों के लम्बित किराये के रूप में ₹1996748/– वसूली हेतु शेष थी। विगत वर्षो में विभिन्न आंबटियों से वसूली हेतु शेष किराए का ब्यौरा निम्नानुसार हैः–

क्रम सं0	तिथि जिस दिन किराए की वसूली शेष थी	वसूली योग्य किराए की राशि
1	31.3.2005	149945
2	31.3.2006	585175
3	31.3.2007	892936
4	31.3.2008	850527
5	31.3.2009	820427
6	31.3.2010	836324
7	31.3.2011	1064816
8	31.3.2012	1689485

अंकेक्षण द्वारा लम्बित किराए की वसूली बारे कृषि उपज मण्डी समिति के गत वर्षो के अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी आपत्ति उठाई गई थी किन्तु इस सन्दर्भ में कोई भी सकारात्मक प्रगति नहीं हो पाई है, अपितु लम्बित किराए की राशि में बढ़ौतरी ही हुई है जैसा कि उपरोक्त तालिका से भी स्पष्ट हो जाता है। अतः उक्त लम्बित किराए की शेष राशि की शीध्र वसूली के अतिरिक्त भविष्य में सभी दुकानों के आंबटियों से निर्धारित समय पर किराए की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए अन्यथा नियमों/अधिनियमों के विहित प्रावधानों के अन्तर्गत चूककर्ता को नियमानुसार नोटिस जारी करते हुए उचित कार्रवाई की जाए ताकि मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति में सुधार होने के साथ–2 मण्डी समिति को इन प्राप्त योग्य राशियो पर ब्याज के रूप में हो रही अप्रत्यक्ष हानि से भी बचाया जा सके।

9 मण्डी शुल्क की बकाया ₹371743/– का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

मण्डी समिति कुल्लू एवं लाहौल स्पिति की विभिन्न उप मण्डियों के मण्डी शुल्क की वसूली से सम्बन्धित अभिलेखों एवं ओ फार्मों की जांच के उपरान्त पाया गया कि दिनांक 31.3.2013 तक विभिन्न लाईसैन्सधारी व्यापारियों से यथा **परिशिष्ट** (ङ) **(I)(II) (III)(IV) (V)** पर दिए गए विवरणानुसार मण्डी शुल्क की ₹371743/– वसूली हेतु शेष है। उक्त लम्बित वसूली के कारण यहां एक ओर मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति पर अनुकूल प्रभाव पड़ रहा वहीं दूसरी ओर मण्डी समिति को निश्चित तौर पर ब्याज के रूप में भी हानि उठानी पड़ रही है जोकि समिति के हित में नहीं है। अतः इस सन्दर्भ में हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (साधारण) नियम 2006 में विनिर्दिष्ट निर्देशों के अन्तर्गत वसूली करनी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से यथा समय अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10 नाका चौकी बजौरा में वसूले गए कम्पाऊंड शुल्क में से ₹19020/– का बैंक में कम जमा करवाया जानाः–

नाका चौकी बजौरा की वर्ष 2012–13 की आय की जाँच में पाया गया कि माह सितम्बर व अक्तूबर में वसूले गए कम्पाऊंड शुल्क से सम्बन्धित रसीदों में दर्शाई गई राशियों की गलत गणना के फलस्वरूप बैंक में ₹19020/– कम जमा की गई है जोकि गम्भीर अनियमितता को परिलक्षित करता है। इस प्रकरण में रोकड़िए ने भी नाका चौकी बजौरा के प्रभारी द्वारा जमा करवाई गई गलत राशियों से सम्बन्धित मासिक रिर्टनों की जाँच किए बिना ही राशि को रोकड़ बही में दर्ज कर लिया गया है जबकि उनके द्वारा रिटर्नों में दर्शाई गई राशि की रसीदों की गणना के उपरान्त ही रोकड़ बही में प्रविष्टि करनी चाहिए थी जिससे कि कम जमा करवाई गई राशि का पता उसी समय चल जाता और कम जमा करवाई गई राशि को तुरन्त बैंक में जमा करवा दिया जाता। अतः उक्त प्रकरण मण्डी

समिति के उच्चाधिकारिणी के समक्ष इस आशय के साथ लाया जाता है कि वह अपने अधीन कार्यरत्त कर्मचारियों पर प्रभावी नियन्त्रण रखना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त उक्त कम जमा की गई राशि की सम्बन्धित चौकी प्रभारी से ब्याज सहित वसूली करने के उपरान्त इसे बैंक में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए। कम जमा करवाई गई राशियों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

माह	रसीद सं0	राशि जो वसूली जानी अपेक्षित थी	वसूली गई राशि	कम वसूली गई राशि
सितम्बर, 2012	67582 से 68000 31001 से 31119	445550	432930	12620
–यथोपरि–	35549 से 35711	143525	137825	5700
अक्तूबर, 2012	52315 से 52379	50930	50230	700
			कुल योग	₹19020

11 नाका चौंकी बजौरा तथा लारजी में गैर लाईसैंसधारी व्यापारियों से कम्पाऊंड शुल्क की ₹42165/–की कम वसूली करनाः–

मण्डी समिति द्वारा स्थापित उक्त नाका चौकियों की अवधि 01.04.2012 से 31.03.2013 की आय की जांच करने पर पाया गया कि इन नाका चौकियों में गैर लाईसैंसधारी व्यापारियो से कम्पाऊंड मण्डी शुल्क की वसूली हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियम) अधिनियम 2005 की धारा 75 व इस सन्दर्भ में मण्डी समिति द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं की गई है। परिणामस्वरूप यथा **परिशिष्ट "च" (I) (II)** के अनुसार कम्पाउंड शुल्क की ₹41290/– तथा ₹875/– अर्थात कुल ₹42165/– की कम वसूली की गई जिसके कारण मण्डी समिति को निश्चित तौर पर हानि हुई है जिसकी भरपाई सम्बन्धित व्यापारियों से की जानी अपेक्षित है। अतः उक्त परिशिष्टों में वर्णित अपेक्षित वसूली करने के अतिरिक्त भविष्य में इस तरह के प्रकरण न दोहराएं जाए तथा निर्धारित दरों के अनुसार ही कम्पाऊंड शुल्क की वसूली की जाए। इसके अतिरिक्त मण्डी समिति के उच्चाधिकारियों को यह भी परामर्श दिया जाता है कि मण्डी समिति द्वारा समय समय पर संशोधित कम्पाऊंड शुल्क की दरों को लिखित आदेशों के रूप में नाकाचौकियों पर तैनात कर्मचारियों को उपलब्ध करवाया जाए ताकि उनसे नियमानुसार वसूली की जा सके।

12 विभिन्न लाईसैंसधारी व्यापारियों से मण्डी शुल्क की ₹319118/–की वसूली से सम्बन्धित रसीदों को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करनाः–

उप सब्जी मण्डी कुल्लू की वर्ष 2012–13 की आय की जांच करने के दौरान पाया गया कि विभिन्न लाइसैंसधारी व्यापारियों से वसूल की गई मण्डी शुल्क की ₹319118/– से सम्बन्धित रसीदों

का वर्णन उनके द्वारा दिए गए "ओ" फार्म पर किया गया दर्शाया गया है लेकिन इस सन्दर्भ में सम्बन्धित रसीदे अंकेक्षण में प्रस्तुत ही नहीं की गई है जिसका विवरण **परिशिष्ट "छ"** पर वर्णित है। सम्बन्धित रसीदों के अभाव में इस तथ्य की भी पुष्टि नहीं की जा सकी कि मण्डी शुल्क की उक्त राशि बैंक में जमा भी की गई है या नहीं। इस सन्दर्भ में मण्डी समिति कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों से उक्त रसीदें अंकेक्षण मे ंप्रस्तुत करने बारे कई वार अनुरोध किया गया लेकिन उनके द्वारा रसीदें अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई। अतः मण्डी समिति के उच्चाधिकारियों के समक्ष यह मामला इस आशय के साथ लाया जाता है कि वे इस मामले को गम्भीरता से ले तथा उक्त सभी रसीदों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ताकि बैंक में मण्डी शुल्क जमा होने की पुष्टि की जा सके अन्यथा उक्त ₹319118/–को सम्बन्धित कर्मचारियों से वसूल करके बैंक मे ंजमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13 विभिन्न मण्डियों द्वारा एक ही क्रम संख्या की कई रसीद पुस्तकों का प्रयोग किए जाने बारेः–

विभिन्न उप मण्डियों की वर्ष 2012–13 की आय की जाँच के दौरान पाया गया कि मण्डियों में फीस की वसूली व अन्य वसूलियों हेतु एक ही क्रम संख्या की दो–दो रसीद पुस्तकें एक साथ या फिर कुछ अन्तराल बाद दूसरी मण्डी में भी प्रयोग की जा रही है। इससे यह स्पष्ट होता है कि एक ही क्रम संख्या की कई रसीद पुस्तकें छपवाकर विभिन्न मण्डियों में फीस वसूली हेतु प्रयोग की जा रही है तथा इस प्रकार की गई वसूली की राशियों की सही जाँच नहीं की जा सकती तथा वसूली गई राशियों के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। मण्डी समिति की विभिन्न मण्डियों द्वारा एक ही प्रकार प्रयोग की गई रसीद पुस्तकों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	माह	रसीद क्र0सं0	मण्डी जिसमें रसीद पुस्तक का प्रयोग किया गया
1	फरवरी व मार्च 2013	27401 से 27600	उप मण्डी भुन्तर व उप मण्डी बंजार में एक ही समय में प्रयोग की गई रसीदें
2	मई 2013	27501 से 27600	भून्तर में प्रयोग की गई रसीदें
3	मार्च 2013	27501 से 27600	कुल्लू में प्रयोग की गई रसीदें

अतः उक्त अनियमितता का प्रकरण मण्डी समिति के उच्च अधिकारियों के सम्मुख इस आशय के साथ लाया जाता है कि इस मामले में अपेक्षित जांच अमल में लाई जाए तथा भविष्य में उप मण्डियों तथा नाका चौकियों के प्रभारियों को रसीद पुस्तकें जारी करते समय पुस्तकों का क्रम जाँच लिया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि एक ही क्रम संख्या की विभिन्न रसीदें एक प्रयोग में न लाई जाएं।

14 विभिन्न लाईसैन्सधारी व्यापारियों से वसूली मण्डी के प्रागंण में न करके नाका चौकी पर करने के बारे मेंः–

नाका चौकी बजौरा में काटे गए कम्पाऊंड शुल्क से सम्बन्धित रसीदों की जाँच में पाया गया कि लाईसैन्सधारी व्यापारियों से मण्डी शुल्क नाका चौकी में वसूला गया है जो कि सरासर नियमों की

अवहेलना है। हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन नियम 2006 के पैरा संख्या 30 (4) में स्पष्ट वर्णित है कि लाईसैन्सधारी व्यापारी द्वारा मण्डी में लाई गई समस्त कृषि उपज या तो खुली नीलामी द्वारा या मुख्य अथवा उप मण्डी प्रांगण में बेची जाएगी। क्रेता ऐसे सव्यवहारों का अभिलेख प्रारूप "एम" फार्म में रखेगा और समिति को प्रारूप "एन" में सूचना देने के साथ साथ प्रारूप "ओ" में भी विवरणी देगा लेकिन सम्बन्धित व्यापारियों की नस्तियों में कोई भी फार्म उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा किए गए व्यापार से सम्बन्धित कोई भी दस्तावेज भी संलग्न नहीं है और न ही आय से सम्बन्धित लैजरों में मण्डी शुल्क की राशियॉ अंकित पाई गई है। अतः इस प्रकरण में यह स्पष्ट किया जाए कि व्यापारियों से मण्डी शुल्क की वसूली नियमानुसार मण्डी समिति के प्रांगंण में न करके नाका चौकी में क्यों की गई तथा भविष्य में समस्त अभिलेखों में उचित प्रकार से रख रखाव करके लाईसैन्सधारी व्यापारियों से मण्डी शुल्क की वसूली नियमानुसार की जानी सुनिश्चित की जाए। उपरोक्त के अतिरिक्त उपज मण्डी कुल्लू की वर्ष 2012–13 की आय से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच के दौरान पाया गया कि उप मण्डी कुल्लू के विभिन्न लाईसैन्सधारी व्यापारियों द्वारा किया गया व्यापार उनके आय से सम्बन्धित लैजर में शून्य दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त लाईसैन्सधारी व्यापारियों द्वारा किए गए व्यापार से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख अर्थात ओ फार्म इत्यादि अंकेक्षण मे ंप्रस्तुत नहीं किए गए। इस सन्दर्भ में सम्बन्धित नस्तियों की जाँच करने पर पाया गया है कि व्यापारियों को जारी किए गए ओ फार्म भी नस्तियों में संलग्न नहीं है जिन पर उनके द्वारा किए गए व्यापार से सम्बन्धित सूचना और मण्डी शुल्क का विवरण अंकित किया जाना अपेक्षित होता है। अतः सम्बन्धित अभिलेख व नस्तियों में लगाताकर आगामी अंकेक्षण प्रस्तुत किए जाएं।

15 विभिन्न मण्डियों से वसूली गई फीस से सम्बन्धित दस्तावेजों एवं लाईसैन्सधारी व्यापारियों की नस्तियों का अन्तशेष में न पाया जानाः–

मण्डी समिति कुल्लू एवं लाहौल स्पिति के अधीन विभिन्न उप मण्डियों की वर्ष 2012–13 की आय की जाँच के दौरान पाया गया कि विभिन्न मण्डियों के लाईसैन्सधारी व्यापारियों से मण्डी शुल्क की जो राशि वसूली की गई है उसकी पुष्टि मण्डी समिति द्वारा रसीद पुस्तकों से की गई है लेकिन कुछ व्यापारियों की नस्तियाँ तो अभिलेख में उपलब्ध है पर नस्तियों में वर्ष के दौरान किए गए व्यापार से सम्बन्धित कोई भी दस्तावेज (ओ फार्म इत्यादि) संलग्न नहीं है। इसके अतिरिक्त कुछ व्यापारियों की तो नस्तियाँ खोली ही नहीं गई है जोकि एक गम्भीर अनियमितता का प्रकरण है। अतः इन प्रकरणों में जिनका ब्यौरा **परिशिष्ट "ज"** पर दिया गया है में यह स्पष्ट किया जाए कि वसूली गई मण्डी शुल्क की राशि का आंकलन किस आधार पर किया गया है। यह प्रकरण मण्डी समिति के उच्चाधिकारियों को अपने अधीन कार्यरत्त कर्मचारियों पर प्रभावी नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण रखने तथा उचित

अभिलेख/दस्तावेज रखने हेतु लाया जाता है तथा सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की चूक न दोहराई जाए।

16 विभिन्न लाईसैन्सधारी व्यापारियों की नस्तियों में संलग्न क्रमवार ओ फार्मों में से कुछ ओ फार्मों का न पाया जानाः–

मण्डी समीति कुल्लू की विभिन्न उप मण्डियों की वर्ष 2012–13 की आय की जाँच करने के दौरान पाया गया कि विभिन्न लाईसैन्सधारी व्यापारियों की नस्तियों में कमवार "ओ" फार्म में से कुछ ओ फार्म नहीं पाए गए है जिसका विवरण यथा **परिशिष्ट "झ"** पर दिया गया है। इस प्रकार क्रमवार जारी किए गए ओ फार्मों में से कुछ फार्में का न पाया जाना एक गम्भीर अनियमितता का मामला है तथा नस्तियों में नही पाए गए ओ फार्मों में संलिप्त राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नही किया जा सकता क्योंकि इन फार्मों के अभाव में इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी कि उक्त गायब "ओ" फार्मों में कितना व्यापार किया गया है व कितना मण्डी शुल्क प्राप्त योग्य बनता था। अतः मण्डी समिति के उच्च अधिकारियों के समक्ष यह मामला इस आशय के साथ लाया जाता है कि वे मामले को गम्भीरता से लेते हुए अपने अधीन कार्यरत्त कर्मचारियों को निर्देश दे कि लाईसैन्सधारी व्यापारियों के "ओ" फार्मों के नस्तियों में गायब होने बारे वस्तुस्थिति से अवगत करवाए तथा भविष्य में मण्डी शुल्क की वसूली के समय व्यापारियों को जारी किए गए ओ फार्मों की जाँच क्रमवार सम्बन्धित रजिस्टर से करके सही मण्डी शुल्क की वसूली सुनिश्चित करें ताकि मण्डी समिति समिति को सम्भावित हानि से बचाया जा सके।

17 मण्डी शुल्क की वसूली से सम्बन्धित रसीदों का इन्द्राज सम्बन्धित लैजर में न करना तथा वसूली से सम्बन्धित अभिलेख का नस्तियों में न पाया जानाः'–

उप सब्जी मण्डी भून्तर की वर्ष 2012–13 की आय से सम्बन्धित रसीद पुस्तकों की जाँच करने पर पाया गया कि विभिन्न व्यापारियों से समय समय पर मण्डी शुल्क की वसूली हेतु जो रसीदें जारी की गई है उन रसीदों का इन्द्राज फीस वसूली से सम्बन्धित लैजर में नहीं किया गया है और न ही इनसे सम्बन्धित कोई भी अभिलेख (ओ फार्म) इत्यादि नस्ति में नहीं पाए गए है जिसके अभाव में फीस वसूली की प्रक्रिया सन्देहास्पद प्रतीत होती है। इस प्रकार के मामलों का विवरण यथा **परिशिष्ट "ञ"** पर संलग्न है। जाँच में यह भी पाया गया कि लैजर में कुछ लाईसैन्सधारी व्यापारियों के तो फीस की वसूली से सम्बन्धित खाते भी नहीं खोले गए है जबकि रसीद पुस्तकों की जाँच में पाया गया है कि इन फर्मा से फीस वसूली की गई है और रसीदें जारी भी की गई है। अतः मण्डी समिति के उच्च अधिकारियों के समक्ष यह प्रकरण इस आशय के साथ लाया जाता है कि इस मामले की संस्था स्त्तर पर पूर्ण जाँच करके मण्डी शुल्क की वसूली से सम्बन्धित सभी रसीदों की प्रविष्टियां लैजर में करवाई

जाए तथा जिन व्यापारियों के लैजर खाते खोले नहीं गए है उनके खाते लैजर में खोले जाए ताकि वर्ष के अन्त में हर फर्म की मण्डी शुल्क की वास्तविक स्थिति की पुष्टि हो सकें।

18 डिपोजिट कार्य के विरूद्ध जमा करवाई गई ₹6649062/–के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण को प्रस्तुत न करनाः–

कृषि उपज मण्डी समिति कुल्लू एवं लाहौल स्पिति द्वारा वर्ष 2012–13 में निर्माण कार्य के लिए हिमाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड शिमला के पास ₹6649062/–जमा करवाई गई थी जिनका पूर्ण विवरण **परिशिष्ट "ट"** पर दिया गया है। उक्त परिशिष्ट में दिए गए विवरण के अनुसार ₹6649062/–के उपयोगिता प्रमाण पत्र अभी भी अंकेक्षण मे ंप्रस्तुत नहीं किए गए है जिन्हें विपणन बोर्ड शिमला से शीध्र प्राप्त करके अंकेक्षण को सत्यापनार्थ प्रस्तुत किया जाए। इस प्रकरण में वस्तुस्थिति यह है कि न तो हिमाचल प्रदेश कृषि राज्य विपणन बोर्ड–डिपोजिट कार्य के अन्तर्गत प्राप्त राशि को उपयोग करने के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करने बारे गम्भीर है और न ही मण्डी समिति कार्यालय समय समय पर विपणन बोर्ड से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त यथासमय अंकेक्षण में सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने के लिए गम्भीर है जैसा कि विगत वर्षा से हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना इसका उदाहरण है। अतः यह प्रकरण मण्डी समिति के उच्चाधिकारियों के विशेष ध्यानार्थ अपेक्षित कार्रवाई करवाए जाने के उद्देश्य से लाया जाता है।

19 मण्डी समिति कार्यालय द्वारा निजी प्रिटिंग प्रैस से 10 रोकड़ बहियों का छपवाया जानाः–

मण्डी समिति कार्यालय द्वारा वर्ष 2012–13 के दौरान अनिराज प्रिटिंग प्रैस से एक साथ 10 रोकड़ बहियों छपवाई गई है जबकि इन रोकड़ बहियों को सरकारी प्रिटिंग प्रैस से छपवाया जाना अपेक्षित था। अगर रोकड़ बहियों की तुरन्त आवश्यकता भी थी तो भी निजी प्रिटिंग प्रैस से रोकड़ बहियाँ छपवाने से पहले सरकारी प्रैस से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना नियमानुसार आवश्यक था। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 110 दिनांक 08.01.2013 द्वारा भी यह मामला सचिव मण्डी समिति के समक्ष उठाया गया था लेकिन उन्होंने इस सन्दर्भ में कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई। अतः मण्डी समिति के अधिकारियों को सुझाव दिया जाता है कि निजि प्रिटिंग प्रैस से एक साथ 10 रोकड़ बहियाँ छपवाने का औचित्य स्पष्ट करें तथा भविष्य में इस प्रकार की छपवाई का कार्य सरकारी प्रिटिंग प्रैस से ही करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

20 ₹5737/– की विभिन्न बिलों में स्थल पर की गई कटौती करने बारेः–

निवासी अंकेक्षण योजना मे ंपूर्वाकेंक्षण हेतु प्रस्तुत किए गए विभिन्न बिलों की वर्ष 2012–13 में जाँच पड़ताल करने पर ₹5737/– की स्थल पर ही कटौती कर दी गई है। अतः विपणन समिति प्राधिकारियों को परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में आन्तरिक लेखा प्रणाली को सुदृढ़ करके

पूर्वाकेक्षण हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले विभिन्न बिलों को सही प्रकार से जाँच पड़ताल के उपरान्त ही अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ताकि अनियमित अदायगी से बचा जा सके। स्थल पर की कटौती का विवरण यथा **परिशिष्ट "ठ"** पर दिया गया है।

21 **लम्बित पड़ी अंकेक्षण अधियाचनाएंः—**

वर्ष 2012—13 के दौरान अंकेक्षण द्वारा मण्डी समिति कार्यालय को जारी की गई अंकेक्षण अधियाचनाओं में से निम्नलिखित अंकेक्षण अधियाचनाएं निपटारे हेतु शेष हैः—

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 4 दिनांक 10.4.2012, 5, दिनांक 10.4.2012, 6 दिनांक 10.4.2012, 8 दिनांक 12.4.2012, 9 दिनांक 17.4.2012, 13 दिनांक 23.4.12 15, दिनांक 24.4.12, 16 दिनांक 24.4. 2012, 35 दिनांक 19.6.2012, 109 दिनांक 7.1.2013, 110 दिनांक 18.1.2013, 112 दिनांक 18.2.2013 तथा 116 दिनांक 4.2.2013

अतः उपरोक्त सभी लम्बित अंकेक्षण अधियाचनाओं का निपटारा सुनिश्चित करने के साथ साथ गत वर्षों की सभी लम्बित अंकेक्षण अधियाचनाओं का निपटारा भी सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

22 **लघु आपति विवरणिकाः—** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

23 **निष्कर्षः—**मण्डी समिति कुल्लू एवं लाहौल स्पिति के लेखों का रख रखाव में सुधार की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त पुराने लम्बित पड़े अंकेक्षण पैरों व अंकेक्षण अधियाचनाओं को निपटाने में तथा अंकेक्षण में अन्य सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत करने में मण्डी समिति की गतिशीध्रता नगणय है जिस कारण जहां अंकेक्षण कार्य में अवरोध पैदा होता है वही अंकेक्षण प्रतिवेदन को तैयार करने में भी विलम्ब होता है। अतः लेखों में सुधार के अतिरिक्त अपेक्षित अभिलेख भी यथा समय अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए जाए।

हस्ता / —
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0) एच(2)सी(15)(14)79 / 84 खण्ड—8 दिनांक,20.8.2014 शिमला—9
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः—

पंजीकृतः 1 सचिव, विपणन समिति कुल्लू एवं लाहौल स्पिति, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर एक माह के भीतर इस विभाग को प्रेषित करें।

2 प्रबन्ध निदेशक, विपणन बोर्ड, विपणन भवन खलीनी, शिमला—171002

3 अवर सचिव (कृषि) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला—171002

4 अनुभाग अधिकारी, निवासी अंकेक्षण योजना कृषि उपज मण्डी समिति कुल्लू जिला कुल्लू (हि0प्र0)

हस्ता / —
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009

परिशिष्ट "क" (पैरा 1 (ङ) के सन्दर्भ में)

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के लम्बित अनिर्णीत पैरों का विवरण

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 10 / 77 से 3 / 83

1	पैरा–5 (बी)	अनिर्णीत	₹4.00 लाख की ग्रांट के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्ततु न करने बारे
2	पैरा–5 (सी)	अनिर्णीत	₹1.00 लाख की ग्रांट के उपयोगिता प्रमाण पत्र पत्र प्रस्ततु न करने बारे
3	पैरा–6 (ii)	अनिर्णीत	लाहौल पोटेटो को0ओ0 सौसाईटी द्वारा बिना स्वीकृति के मण्डी शुल्क से खर्च की कटौती बारे
4	पैरा–6 (iii)	अनिर्णीत	मण्डी शुल्क न लिये जाने बारे
5	पैरा–6 (iv)	अनिर्णीत	लाईसैंसधारियों द्वारा क्रय विक्रय का दैनिक विवरण फार्म "एम" में न भरने बारे
6	पैरा–6 (v)	अनिर्णीत	बकाया मण्डी शुल्क की वसूली बारे
7	पैरा–9 (ii)	अनिर्णीत	पेड़ों की नीलामी से हानि बारे
8	पैरा–9(ए से एच)	अनिर्णीत	अस्थाई बिजली फिटिंग का कार्य बिना तकनीकी स्वीकृति एवं टैण्डर से करने बारे तथा अनियमित भुगतान इत्यादि के मामलों के बारे में।
9	पैरा–9 (vi)	अनिर्णीत	सात लकड़ी के खोखो की खरीद बिना बजट प्रावधान व बिना स्वीकृति के करना
10	पैरा–13 (v)	अनिर्णीत	आलू ग्राऊट को समतल करवाने से सम्बन्धित व्यय रिकार्ड सहित अंकेक्षण को न दर्शाने बारे

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4 / 83 से 3 / 84

1	पैरा–5 (सी) (i,ii, iii, iv)	अनिर्णीत	लाहौल पोटेटो सोसाइटी द्वारा बिना स्वीकृति के खर्च की कटौती बारे

2	पैरा–5 (ई)	अनिर्णीत	सेब व पलम पर मण्डी शुल्क न लेने बारे
3	पैरा–5 (एफ)	अनिर्णीत	बिना लाईसैन्स व मण्डी शुल्क लेने से कमेटी को हानि बारे
4	पैरा–10 (बी)	अनिर्णीत	अंकेक्षण को 6 दुकानो के निर्माण कार्य के बारे में रिकार्ड न दिखाना
5	पैरा–10 (सी)	अनिर्णीत	अंकेक्षण को ग्राउड को समतल करवाने सम्बन्धी कार्य के भुगतान का रिकार्ड न दिखाना

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/84 से 3/85

1	पैरा–5 (i)	अनिर्णीत	29 व्यापारियों (Dealers) लाईसैसधारियों द्वारा एम फार्म में रिटर्न जमा न करवाना
2	पैरा–5 (ii)	अनिर्णीत	मैसर्ज भारत आलू कम्पनी द्वारा आलू के बीज के 1172 बैग के मण्डी शुल्क की रिटर्न न भरने बारे
3	पैरा–5 (iii) बी (2, 4, 5)	अनिर्णीत	मैसर्ज भारत आलू कम्पनी द्वारा सेब पर मण्डी शुल्क न देने बारे
4	पैरा–5 (iv) (i, ii, iii)	अनिर्णीत	शनाग को0आ0 सोसाईटी द्वारा सेब पर मण्डी शुल्क न देने बारे
5	पैरा–5 (v)	अनिर्णीत	मैसर्ज लाहौल आलू कम्पनी द्वारा बिना स्वीकृति के मण्डी शुल्क से खर्च की कटौती बारे
6	पैरा–8	अनिर्णीत	चौरी विहाल की दुकान/बूथ के किराये बारे
7	पैरा–9	अनिर्णीत	पत्थरों की नीलामी से हानि बारे
8	पैरा–11 (1)	अनिर्णीत	अनियमित भुगतान बारे
9	पैरा–12 (बी)	अनिर्णीत	कुल्लू में 6 दुकानों के निर्माण कार्य के रिकार्ड अंकेक्षण को न दिखाना
10	पैरा–13 (ii)	अनिर्णीत	लाईसैंसधारियों से स्टोरेज चार्जिज न लिए जाने से कमेटी को हानि बारे

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/85 से 3/87

1	पैरा–5	अनिर्णीत	ग्रांट की बकाया ₹40953/–के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना।
2	पैरा–6 (ए)	अनिर्णीत	लाहैाल पौटेटो को0आ0 सोसाईटी द्वारा बिना

			स्वीकृति के मण्डी शुल्क से खर्च की कटौती बारे
3	पैरा–6 (बी)	अनिर्णीत	मैसर्ज हरी सिंह एण्ड कम्पनी द्वारा बिना स्वीकृति से मण्डी शुल्क में खर्च की कटौती बारे
4	पैरा–6 (सी)	अनिर्णीत	मै0 मनाली आलू कम्पनी द्वारा बिना स्वीकृति के मण्डी शुल्क से खर्च की कटौती बारे
5	पैरा–6 (डी)	अनिर्णीत	मैसर्ज भारत आलू कम्पनी से बकाया मण्डी शुल्क की ₹21666/–की वसूली बारे
6	पैरा–9	अनिर्णीत	निमार्ण कार्य मार्किट यार्ड बहांग में 14 दुकानों का कार्य अधूरा होने बारे

(ङ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/87 से 3/91

1	पैरा–12	अनिर्णीत	निर्माण कार्य का भुगतान अंकेक्षण को न दिखाना

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/91 से 3/96

1	पैरा–10 (1)	अनिर्णीत	दैनिक वेतन भोगियों को सरकारी दरों से अधिक दरों पर किया गया भुगतान
2	पैरा–10 (2)	अनिर्णीत	निमार्ण कार्य हेतु खरीदे गये सामान का सही रिकार्ड अंकेक्षण को न दिखाना
3	पैरा–10 (3)	अनिर्णीत	विश्राम गृह हेतु फर्नीचर इत्यादि खरीदने हेतु सक्षम अधिकारी से स्वीकृति न लेने बारे
4	पैरा–10 (5)	अनिर्णीत	चैयर मैन/अधिकारी विपणन बोर्ड/समिति कुल्लू द्वारा टैक्सी के प्रयोग के भुगतान बारे
5	पैरा–10 (7)	अनिर्णीत	मोटर साईकल पर पैट्रोल की खरीद पर व्यय बारे
6	पैरा–10 (12)	अनिर्णीत	ठेकेदारों को धरोहर राशि की वापसी बारे
7	पैरा–10 (15)	अनिर्णीत	ग्रेच्युटी व अवकाश वेतन की जाँच हेतु अंकेक्षण में सेवा पंजिका प्रस्तुत न करना
8	पैरा–10 (17)	अनिर्णीत	फार्म एम जारी किये गये परन्तु मण्डी समिति में जमा नहीं किये गये
9	पैरा–11	अनिर्णीत	निमार्ण कार्य से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/99 से 3/2000

1	पैरा–11	अनिर्णीत	निर्माण कार्य के एवज में हि0प्र0 मार्किटिंग बोर्ड शिमला से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करने बारे

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2000 से 3/2002

1	पैरा–13	अनिर्णीत	निर्माण कार्य से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र हि0प्र0 मार्किटिंग बोर्ड शिमला से प्राप्त न करने बारे
2	पैरा–14	अनिर्णीत	सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व अन्य अभिलेख अंकेक्षण को न दिखाना
3	पैरा–15 (क)	अनिर्णीत	टैक्सी द्वारा यात्रा का विवरण बिल में न दर्शाना
4	पैरा–15 (ख)	अनिर्णीत	बजट से अधिक खर्च की कार्योत्तर स्वीकृति न दिखाना
5	पैरा–17	अनिर्णीत	मण्डी शुल्क से सम्बन्धित फार्म "एम" पर रिटर्न का न भरना

(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2002 से 3/2004

1	पैरा–7	अनिर्णीत	अध्यक्ष को घर से कार्यालय तक यात्रा भत्ता दैनिकी इत्यादि पर ₹257800/–का गलत भुगतान
2	पैरा–14	अनिर्णीत	सक्षम अधिकारी की स्वीकृति एवं अन्य अभिलेख अंकेक्षण को न दिखाना
3	पैरा–18	अनिर्णीत	मार्किट यार्ड चौरी विहाल सब्जी मण्डी की रसीद बुक का सत्यापन न होना।

(ञ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2004 से 3/2005

1	पैरा–12	अनिर्णीत	निर्माण कार्य से सम्बन्धित मार्किटिंग बोर्ड शिमला से उपयोगिता प्रमाण पत्र न दर्शाना
2	पैरा–18 (1 से 6)	अनिर्णीत	रसीद बुकों के सारे पैसों को जमा न करके रद्द करने बारे

(ट) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2005 से 3/2006

1	पैरा–12 (2)	अनिर्णीत	उप–सब्जी मण्डी कुल्लू व उप–सब्जी मण्डी चौरी विहाल के मण्डी शुल्क से सम्बन्धित रिटर्न फार्म "एम" अंकेक्षण को न दिखाना
2	पैरा–13	अनिर्णीत	उप सब्जी मण्डी पतली कूहल में आंबटित स्टोलों/बूथों का किराया न वसूलने बरे
3	पैरा–14 (2)	अनिर्णीत	मार्डन (Modern) फ्रूट कम्पनी द्वारा आलू के 775 बैंग से सम्बन्धित मण्डी शुल्क व फार्म एम रिटर्न न भरने बारे
4	पैरा–14 (4)	अनिर्णीत	मण्डी शुल्क से किराए की कटौती बारे
5	पैरा–17 (2)	अनिर्णीत	लाईसैन्सधारियों से मण्डी शुल्क की वसूली बारे

(ठ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2006 से 3/2007

1	पैरा–7 (1 से 6)	अनिर्णीत	₹1754813/– के डिपाजिट/निर्माण कार्य से उपयोगिता प्रमाण पत्र हि0प्र0 कृषि विपणन बोर्ड से लेकर न दर्शाने बारे
2	पैरा–10 (ख)	अनिर्णीत	हाप्स पर मण्डी शुल्क न लेने से ₹48135/– की मण्डी शुल्क की हानि बारे
3	पैरा–11 (क)	अनिर्णीत	उप–सब्जी मण्डी कुल्लू के अवधि 2005–2006 व 2006–2007 की रिटर्न फार्म "एम" न दिखाना
4	पैरा–11 (ग)	अनिर्णीत	जड़ी बूटियों के व्यापार से सम्बन्धित मण्डी शुल्क की रिटर्न (अवधि 2005–2006 2006–2007) का फार्म "एम" अंकेक्षण को न दिखाना
5	पैरा–12 (1, 2, 3)	अनिर्णीत	बिजली के बिलों में पाई गई अनियमितताओं को अंकेक्षण में न बताने बारे
6	पैरा–15 (3)	अनिर्णीत	चल–अचल सम्पति रजिस्टर तैयार न करने बारे

(ड) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2008

1	पैरा–7 (ग) (2)	अनिर्णीत	मण्डी शुल्क से ₹506405/– का व्यय विभिन्न वर्षो में बिना कमेटी की स्वीकृति के करने बारे
2	पैरा–7 (घ)	अनिर्णीत	मण्डी समिति कुल्लू द्वारा बिना लाईसैसधारियों से ₹41931/– की मण्डी शुल्क की कम वसूली बारे
3	पैरा–8 (क)	अनिर्णीत	उप–सब्जी मण्डी कुल्लू के वर्ष 2005–06, 2006–07 व 2007–08 के अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना
4	पैरा–8 (ख)	अनिर्णीत	जड़ी बूटियों के व्यापार से सम्बन्धित मण्डी शुल्क की वसूली बारे

(ढ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2008 से 3/2009

1	पैरा–4 (ग) (2)	अनिर्णीत	देय मण्डी शुल्क की राशि में से व्यय के रूप में की गई कटौती की राशि के अनुमोदन बारे
2	पैरा–4 (ग) (3)	अनिर्णीत	लाहौल पोटेटो ग्रोवर को0आ0 सोसाईटी से मण्डी शुल्क की कम वसूली बारे
3	पैरा–5	अनिर्णीत	विभिन्न उप मार्किट याड्रों में अवधि 31.3.2008 तक की बकाया मण्डी शुल्क की वसूली बारे
4	पैरा–8	अनिर्णीत	दुकानों के इकरारनामें लेखा परीक्षा को नहीं दर्शाने बारे
5	पैरा–10	अनिर्णीत	लेनदेन व फीस की प्राप्ति से सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा को प्रस्तुत न करने बारे
6	पैरा–11	अनिर्णीत	दुकानों के इकरारनामों/लीजडीड को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे
7	पैरा–12	अनिर्णीत	लाईसैन्सों का नियमानुसार पंजीकरण न करना
8	पैरा–13 (1)	अनिर्णीत	विभिन्न बैरियरों पर जारी किए गये रजिस्टरों व इनवैन्ट्री रजिस्टर बारे
9	पैरा–13 (2)	अनिर्णीत	फार्म "ओ" के सत्यापन बारे

(त) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2009 से 3/2010

1	पैरा–6 (ग) (2)	अनिर्णीत	बिना कमेटी की स्वीकृति से मण्डी शुल्क की देय राशि से बिजली बिलों पर व्यय की कटौती बारे
2	पैरा–7	अनिर्णीत	लाहौल पोटेटो ग्रोवर को0आ0 द्वारा समय पर मण्डी शुल्क की राशि जमा न करवाने पर हुई ब्याज की राशि की हानि बारे
3	पैरा–8	अनिर्णीत	विभिन्न जारी किये गये फार्मों की बिक्री से हुई प्राप्त राशि के जमा बारे
4	पैरा–10	अनिर्णीत	उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने बारे।
5	पैरा–11	अनिर्णीत	लेनदेन व फीस की प्राप्ति से सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने बारे
6	पैरा–12	अनिर्णीत	स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना

(थ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2011

1	पैरा–5 (i)	अनिर्णीत	आंबटित दुकानों के लम्बित किराये की वसूली बारे
2	पैरा–5 (ii)	अनिर्णीत	–यथोपरि–
3	पैरा–5 (iii)	अनिर्णीत	–यथोपरि–
4	पैरा–5 (iv)	अनिर्णीत	–यथोपरि–
5	पैरा–6 (i, ii, iii, ivवv)	अनिर्णीत	मण्डी शुल्क की बकाया ₹853338/– की वसूली बारे
6	पैरा–7	अनिर्णीत	आलू व्यापारियों से अवधि 31.3.2011 तक ₹526993 की वसूली बारे
7	पैरा–8	अनिर्णीत	लाहौल पोटेटो ग्रोवर सोसाईटी से मण्डी शुल्क की बकाया ₹117318 की वसूली बारे
8	पैरा–9	अनिर्णीत	संशोधित वेतनमानों के अन्तर्गत अवधि 31.3.2011 तक भुगतान की गई ₹83758 की दूसरी विपणन समितियों से भरपाई करने बारे

9	पैरा—10	अनिर्णीत	₹12602034/—के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने बारे
10	पैरा—11	अनिर्णीत	सब मार्किट यार्ड बन्दरोल में उगे पौधों की लागत ₹358730/— का भुगतान वन मण्डालाधिकारी कुल्लू को करने बारे
11	पैरा—12	अनिर्णीत	विपणन समिति कुल्लू द्वारा विभिन्न सब मार्किट याडों में आंबटित दुकानों के एग्रीमैन्ट को लेखा परीक्षा में न दर्शाने बारे
12	पैरा—13	अनिर्णीत	लाईसैन्सो का नियमानुसार नवीनीकरण न करना
13	पैरा—14	अनिर्णीत	देय दुकानों के किराये की ₹475200/— की कम वसूली बारे

(द) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2012

1	पैरा—5 (ख)	अनिर्णीत	मण्डी समिति कार्यालय द्वारा सावधि जमा योजना में निवेशित राशि को वन निगम के नाम कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक कुल्लू में गिरवी रखना
	पैरा—5 (ग)	अनिर्णीत	बचत खतों में अनावश्यक रूप में अधिक राशि रखने पर ब्याज की हानि
2	पैरा—6	अनिर्णीत	उप मण्डी भून्तर से प्राप्त आय की ₹109073/—को बैंक में जमा न करवाया जाना
3	पैरा—7	अनिर्णीत	दुकानदारों से आंबटित दुकानों के लम्बित किराए के रूप में ₹1689485/— की वसूली न करना
4	पैरा—8	अनिर्णीत	मण्डी समिति कुल्लू द्वारा आंबटित दुकानों/बूथों से पिछले 15—20 वर्षों में किराए की वसूली न करना तथा किराये की वसूली के बिना आंबटित दुकानों/बूथों को दूसरी फार्मे के नाम स्थानान्तरित करना
5	पैरा—9	अनिर्णीत	मण्डी शुल्क की बकाया ₹401183/— की वसूली

			न करना
6	पैरा–10	अनिर्णीत	लाईसैन्सधारी व्यापारियों से देय मण्डी शुल्क की ₹104327/–कम वसूल किए जाने के फलस्वरूप मण्डी समिति को सम्भावित हानि
7	पैरा–11	अनिर्णीत	आलू व्यापारियों से अवधि 31.3.2012 तक ₹270200/– का वसूली हेतु शेष पाया जाना
8	पैरा–12	अनिर्णीत	लाहौल पोटेटो सोसाईटी से बकाया मण्डी शुल्क की ₹136529/– की वसूली न करना
9	पैरा–13	अनिर्णीत	नाकाचौकी बजौरा, लुहरी तथा लारजी में लाईसैन्सधारी व्यापारियों से कम्पाऊंड शुल्क की ₹29287/– की कम वसूली करना
10	पैरा–14	अनिर्णीत	विभिन्न लाईसैन्सधारी व्यापारियों से मण्डी शुल्क की ₹919666/– की वसूली से सम्बन्धित रसीदों को अंकेक्षण मे ंप्रस्तुत न करना
11	पैरा–15	अनिर्णीत	उप मण्डी समिति कुल्लू के विभिन्न लाईसैन्सधारी व्यापरियों से मण्डी शुल्क की वसूली हेतु प्रयोग की गई रसीदों की रसीद संख्या तथा दिनांक इत्यादि को सम्बन्धित लैजर में अकिंत न करना।
12	पैरा–16	अनिर्णीत	पंजीकृत व्यापारियों की संख्या में कमी पाई जाना
13	पैरा–17	अनिर्णीत	मार्किट यार्ड कुल्लू की आय से सम्बन्धित लैजर के रख रखाव सही ढंग से न करने बारे
14	पैरा–18	अनिर्णीत	डिपोजिट कार्य के विरूद्ध जमा करवाई गई राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण को प्रस्तुत न करना

अनिर्णीत पैरों का विवरण

प्रारम्भिक शेष	109
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों से सम्बन्धित निर्णीत किए गए पैरे	–
अन्तशेष (दिनांक 31.3.2012) तक अनिर्णीत पैरे	109